

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

प्रश्न संख्या 4471

19, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निजी शैक्षिक संस्थाओं के लिए छूट

4471. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

- क स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
- () क्या निजी शैक्षिक संस्थाओं को कोई छूट देना संभव है, यदि हां, तो कितना; और
- () क्या सरकार को निकट भविष्य में ऐसी कोई छूट देने का योजना है और यदि हां, तो कितना;
- () क्या ऐसी किसी प्रकार की छूट देने से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अथवा न सरकारों की तुलना में निजी शैक्षिक संस्थाओं को कोई छूट देना संभव है;
- () क्या निजी शैक्षिक संस्थाओं को कोई छूट देना संभव है ?

त

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री शै)

(क) से (घ): जी नहीं। भारतीय चिकित्सा परिषद विनियम द्वारा नए मेडिकल कॉलेजों को स्थापना में अपेक्षाएं तथा मानदंड निर्धारित किए गए हैं। एमसीआई विनियम सांविधिक प्रवृत्ति के हैं तथा यह निजी तथा सरकारी चिकित्सा संस्थाओं / संस्थानों, दोनों के लिए बाध्य है। चूंकि विनियम नए मेडिकल कॉलेजों को स्थापना हेतु निजी संस्थाओं को छूट देना संभव नहीं है।
